राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.2 (क)/नोटिस/2017–18/ 1356 दिनांक– 28.02.18

## कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण यादव (लिंक नम्बर 9066), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I का स्थानान्तरण आयुक्त (जिला योजना), पंचायती राज विभाग, जयपुर से निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री यादव द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री यादव को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री यादव को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 28.02.2018 को मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री यादव नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल–jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141–2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करें।

उक्त के अतिरिक्त श्री यादव को निर्देश दिये जाते है कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में **कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण** 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः–एफ.2 (क)/नोटिस/2017–18/ 1356 दिनांक– 28.02.18

**प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है–**

1. आयुक्त (जिला योजना), पंचायती राज विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. श्री लक्ष्मीनारायण यादव, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय–पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–I)